झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आदेश

संचिका संख्या– 4/आ0–03–1010/2017 409 राँची,दिनांक– 7/11/17

अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक–1939 दिनांक–19.11.2016 के द्वारा विभाग को, श्री रविचन्द्र पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा पाटन, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदिनीनगर को पाटन प्रखण्ड अन्तर्गत किशुनपुर ग्राम में निर्मित शौचालयों की जाँच करने परन्तु उनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध न कराकर बिना पूर्वानुमति के कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने की सूचना दिये जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–339 दिनांक–06.12.2016 सपठित ज्ञापांक–5543 दिनांक–06.12.2016 द्वारा श्री पाण्डेय को निलंबित किया गया।

2. अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदिनीनगर द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के समीक्षा के क्रम में विभागीय पत्रांक–5552 दिनांक–07.12.2016 द्वारा श्री पाण्डेय से कारण पृच्छा की की गयी। श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–332 दिनांक–20.01.2017 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, अंचल, मेदिनीनगर से मंतव्य की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में अधीक्षण अभियन्ता, अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक–1100 दिनांक–11.08.2017 द्वारा समर्पित मंतव्य में निलम्बन से मुक्त करने का अनुशंसा किया गया, एवं पत्रांक–1273 दिनांक–06.10.2017 द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रपत्र–क गठित कर विभाग को उपलब्ध करायी गयी।

3. प्राप्त प्रपत्र–क के आलोक में विभागीय पत्रांक–4875 दिनांक–03.10.2012 द्वारा श्री पाण्डेय से कारण पृच्छा की गयी। श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं अधीक्षण अभियन्ता, अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक–1100 दिनांक–11.08.2017 द्वारा प्रतिवेदित मंतव्य के समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा श्री पाण्डेय को दोष मुक्त करते हुए निलम्बन मुक्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश दिये जाते है:–

(1). श्री पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

(2). श्री पाण्डेय द्वारा निलंबन मुक्ति के पश्चात् विभाग में योगदान दिया जायेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री रविचन्द्र पाण्डेय, निलंबित कनीय अभियन्ता, मुख्यालय–अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदिनीनगर एवं अन्य संबंधित को उपलब्ध करायी जाय।

6/11/17

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 4/आ0–03–1010/2017........5655 रांची, दिनांक ....7/11/17.../–
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा–03, 04 एवं 05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : 4/आ0–03–1010/2017........5655 रांची, दिनांक ....7/11/17.../–
प्रतिलिपि–संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : 4/आ0–03–1010/2017........5655 रांची, दिनांक ....7/11/17.../–
प्रतिलिपि :– श्री रविचन्द्र पाण्डेय, निलंबित कनीय अभियन्ता, मुख्यालय–अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : 4/आ0–03–1010/2017........5655 रांची, दिनांक ....7/11/17.../–
प्रतिलिपि :–अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति श्री रविचन्द्र पाण्डेय को हस्तगत करायी जाय।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : 4/आ0–03–1010/2017........5655 रांची, दिनांक ....7/11/17.../–
प्रतिलिपि :– श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक, आई0टी0, पी0एम0यू0, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव